न्यायालय— जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या— 04/2014

शिवनाथ राम वनाम राज्य

—:: आदेश ::—

8.2.18
10.2.18

प्रस्तुत आपूर्ति अपील अपीलार्थी शिवनाथ राम, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत— नौला, प्रखंड— नौहट्टा द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1798 दिनांक 13.09.2014 द्वारा अपीलार्थी की जन वितरण प्रणाली दूकान की अनुज्ञप्ति संख्या— 46/2009 को रद्द किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के विरूद्ध जॉच पदाधिकारी को जॉच हेतु स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं करना, निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न की आपूर्ति करना, निर्धारित दरसे अधिक मूल्य वसूल करना, नियमानुसार गेहू की आपूर्ति नहीं कर सिर्फ चावल की आपूर्ति करने का आरोप है।

उक्त आरापों पर अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी अनुज्ञप्ति संख्या— 46/2009 की प्राप्ति के उपरान्त उन्हें आवंटित खाद्यान्न का उठाव कर निगरानी समति के सदस्यों की देख—रेख में निर्धारित मात्रा में उचित कीमत लेकर उपभोक्ताओं को आपूर्ति करते रहे है। अग्रतर अपीलार्थी का कहना है कि बिना किसी कारण के आवंटन को घटा दिये जाने के कारण कुछ उपभोक्ताओं को सामग्री की आपूर्ति नहीं की जा सकी जो आक्रोश का कारण बन गया। मार्च 2014 में कुल 3314 यूनिट के स्थान पर 2913 यूनिट का खाद्यान्न की आपूर्ति की गयी। इस तरह कुल 395 यूनिट वंचित हर गया। इस बात से आक्रोशित कुछ उपभोक्ताओं द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत पत्र डाला गया, जबकि इसमें अपलार्थी की काई गलती नहीं थी। प्राप्त शिकायत पत्र की जॉच प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नौहट्टा द्वारा की गयी। प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नौहट्टा द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 1615 दिनांक 14.08.2014 द्वारा कारण—पृच्छा की मांग की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने संबंधित पंजियों के साथ कारण—पृच्छा की मांग की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने संबंधित पंजियों के साथ कारण—पृच्छा दिनांक 30.08.2014 को समर्पित किया, परन्तु समर्पित कारण—पृच्छा पर सम्यक विचार किये बिना और अपीलार्थी को सुनने का मौका दिय बिना ज्ञापांक 1798 दिनांक 13.09.2014 द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति को सुनने का मौका दिए बिना आदेश दिनांक 09.10.2014 को अपीलार्थी को हस्तगत हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी —सह— अनुज्ञापन पदाधिकारी, सहरसा के अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने संबंधी पारित आदेश के विक्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने अपील दायर कर अनुमंडल पदाधिकारी के उक्त आदेश को निरस्त करने की याचना की है। अपीलार्थी ने कहा है कि बिना अपीलार्थी को सुने बिना और सुनने का मौका दिये बिना आदेश पारित कर दिया गया है, जो प्रावधान के प्रतिकूल है। सभी योजनाओं का भंडार पंजी,

13.2.18

वितरण पंजी अपीलार्थी द्वारा पोषण किया जाता रहा है, जिसमें लाभार्थी का नाम, सामग्री की मात्रा, कीमत लिखा रहता है, जिस पर लाभार्थी का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान किया जाता है, फिर निर्धारित मात्रा से कम अनाज देने या अधिक कीमत लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। जॉच के समय पंजी प्रस्तुत नहीं किये जाने के विन्दु पर अपीलार्थी का कहना है कि पंजी प्रखंड आपूर्ति कार्यालय लेकर गये थे, और लौटाते समय कैलाश यादव के यहॉ उन्हें रूकना पड़ा, क्योंकि कैलाश यादव की मृत्यु हो जाने के कारण उनके दाह संस्कार में शामिल हुआ था और इसी कारण पंजी कैलाश यादव के घर पर रह गया था। मार्च 2014 में 3314 के स्थान पर 2919 एवं अप्रैल, मई, जनू में 3019 के स्थान पर पर 2014 यूनिट का ही आवंटन दिया गया। इस तरह मार्च में 395 एवं अप्रैल, मई, जून में 295 यूनिट का कम राशन उपलब्ध कराया गया। फलतः कुछ उपभोक्ताओं को समाग्री की आपूर्ति नहीं की जा सकी, जो आक्रोश का करण बना। इस तरह अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गए आरोप कम अनाज देकर अधिक राशि की वसूली की जाती थी। निरीक्षण के समय भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं करना एवं अपने स्पष्टीकरण में अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है। भंडार पंजी कैलाश यादव के घर पर छुट गया, जबकि अनुज्ञप्ति की शर्तों के मुताबिक विक्रेता को प्रतिदिन भंडार पंजी एवं वितरण पंजी का अद्यतन लेखा–जोखा संधारण किया जाना है, जिससे लगाये गये आरोप प्रमाणित होता है। अपीलार्थी का दलील मान्य नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश में किसी तरह के त्रुटि नहीं है, इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हे।

अतः अपील खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
18.2.15
समाहर्त्ता,
सहरसा।

18.2.15
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 363-2 / विधि, सहरसा, दिनांक-03-03-2017.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
3.3.17